

लघु शोध प्रकल्प

‘‘ग्राहक शिकायत निवारण मंच, नागपूर जिल्हा का विवाद निपटारा तथा

ग्राहक हित संरक्षणार्थ कार्य - निष्पादन का विश्लेषणात्मक

एवं समीक्षात्मक अध्ययन’’

विद्यापीठ अनुदान आयोग की ११ वी योजना के अंतर्गत लघुशोध

प्रकल्प प्रस्तुत

(विद्यापीठ अनुदान आयोग, पञ्चम विभाग, गणेष खिण्ड पुणे. (महाराष्ट्र) नत्थी क्रमांक –

23–3032/11/(WRO)



**मुख्य संस्थापक
डॉ. आर एच नगरकर
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग)
गो. से. अर्थ—वाणिज्य महाविद्यालय
अमरावती रोड, नागपूर**

प्रतिज्ञापत्र

मैं, आर एच नगरकर, प्रतिज्ञापुर्वक घोषणा करता हूँ कि मैंने लघु शोध प्रकल्प “ग्राहक षिकायत निवारण मंच, नागपूर जिल्हा का विवाद निपटारा तथा ग्राहक हित संरक्षणार्थ कार्य – निष्पादन का विष्लेषणात्मक एवं समीक्षात्मक अध्ययन” इस शीर्षक पर पूर्ण किया है इस लघु शोध प्रकल्प की विषय सामग्री मौलिक है तथा इसे किसी अन्य विष्वविद्यालय या शौक्षणिक संस्था मे प्रस्तुत नहीं किया गया है।

स्थान : नागपूर

डॉ. आर एच नगरकर

संशोधक

शैक्षणिक संस्था प्रमुख/प्राचार्य का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गो से अर्थ—वाणिज्य महाविद्यालय, नागपुर यह विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (F) एवं 12 (B) के अनुसार नियमित एंव स्थायी रूप से सलग्नित है तथा डॉ. आर एच नगरकर इस महाविद्यालय में सन 1996 से नियमित, मान्यताप्राप्त शिक्षक के रूप में वरिष्ठ महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग में कार्यरत है। लघु शोध प्रकल्प “ग्राहक षिकायत निवारण मंच, नागपूर जिल्हा का विवाद निपटारा तथा ग्राहक हित संरक्षणार्थ कार्य – निष्पादन का विष्लेषणात्मक एवं समीक्षात्मक अध्ययन” अनुदान आयोग की मंजुरी एवं मान्यता के अनुसार तैयार किया गया है।

तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है, कि मेरी जानकारी के अनुसार यह लघु शोध प्रकल्प किसी अन्य विद्यापीठ या शैक्षणिक संस्था में मुल्यांकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

स्थान – नागपूर

(डॉ. एन. वाय. खंडाईत)

प्राचार्य

गो. से. अर्थ—वाणिज्य महाविद्यालय,
नागपूर